भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान – 304501

क्रमांक : 6(387)एसपी / 2018 / 1370 दिनांक 01.08.2018

निमित्त,

मै0 प्रकाश चन्द सैन
ग्राम सालग्यावास, तहसील टोडारायसिंह
जिला टोंक, राजस्थान – 304502

विषय : संस्थान के पशु पोषण विभाग के अर्न्तगत सेक्टर न0 8, 9 एवं 4 पर स्थित हर्बल, केक्टस तथा सैंजना गार्डन के लगभग 6.3 हैक्टर क्षेत्र में कृषि से सम्बन्धित समस्त कार्य वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करवाने बाबत।

संदर्भ : आपकी ई–निविदा क्रमांक 1208001 दिनांक 04.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा क्रमांक 1208001 दिनांक 04.07.2018 में प्रस्तुत दर रूपये 249500.00 वार्षिक सभी करों एवं खर्चो सहित को सक्षम अधिकारी महोदय ने स्वीकार कर लिया है। अतः निम्न लिखित नियम व शर्तो के आधार पर आपको अनुबन्ध आदेश जारी किया जाता है–

कार्य का विवरण	कुल वार्षिक दर सभी करों एवं खर्चो सहित
I. हर्बल गार्डन (अ) (2है0)हर्बल गार्डन में लगायी गयी सभी औषधीय फसलों /पौधों की वर्षभर आवश्यक शस्य कियायें सम्पन्न करना जैसे खरपतवार नियन्त्रण, कीट–रोग नियंत्रण हेतु दवा छिडकाव / उर्वरक देना एवं उत्पाद / उपज की कटाई, यातायात एवं संग्रहण करना। सिचांई हेतु स्थापित बुन्द–बुन्द सिचांई पद्वति द्वारा एवं आवश्यकतानुसार ट्रेक्टर टैकंर से करवानी होगी वर्षभर पौधों को पानी पिलाना तथा टंकीयों को टयुबवेल चलाकर भरना। सिचांई प्रणाली का सम्पूर्ण रूप से ध्यान रखना।प्रक्षेत्रों को वर्षभर साफ–सुथरा रखना, पौधों की निराई / गुडाई करना एवं औषधीय पौधों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना। (ब) (1.3है0)हैक्टर मे नया हर्बल गार्डन तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार गड्डे खोदना, खाद मिलाना, पौधे लगाना वर्षभर पौधों की सिचॉई करवाना, पौधों को पानी पिलाना तथा। सिचांई प्रणाली का सम्पूर्ण रूप से ध्यान रखना। प्रक्षैत्रों को वर्षभर साफ–सुथरा रखना, पौधों की निराई / गुडाई करना एवं औषधीय पौधों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना। जब तक बुन्द–बुन्द सिचांई स्थापित नहीं होने तक नये लगाये गये पौधों की सिचांई ट्रेक्टर टैकंर से करवानी होगी । 50 ट्रेक्टर ट्रोली मैंगनी की खाद भेड़ो के बाड़े से प्रक्षेत्र पर डलवाना होगा। II. केक्टस गार्डन (1है0) वर्षभर खरपतवार रहित साफ–सुथरा रखना। केक्टस एवं सैंजना को खिलाई पिलाई एवं साईलेज हेतु आवश्यकतानुसार कटाई कर वांछित स्थान पर पहुँचाना। यदि आवश्यक हुआ तो फसल के मध्य रिक्त स्थान पर अतिरिक्त केक्टस लगाया जा सकता है एवं केक्टस से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना। III. सैंजना गार्डन (2है0) स्थापित सैंजना पौधों की नियमित वर्षभर देखभाल, बुन्द–बुन्द सिंचाई करना, खरपतवार रहित रखना। खिलाई–पिलाई एवं साईलेज हेतु समय समय पर छगाई कर वांछित स्थान पर पहुँचाना। नये विकसित किये जा रहे क्षैत्र में सैंजना के लगभग 700 पौधें लगाने हेतु गडडे तैयार करना, खाद व उर्वरक देकर वर्षभर बुन्द बुन्द सिंचाई कर रख–रखाव करना। भेड के बाडों से मेगंनी की खाद 30 टोली डालना, वांछित स्थानो पर थॉवलो व क्यारियों में डलवाना, काली मिटटी के साथ मिश्रण कर पेड़ पौधे हेतु गढडे तैयार करना व वर्षभर रख रखाव कर प्रदर्शन हेतु तैयार रखना एवं सैंजना पौधों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करना। पौधों की सिचांई ट्रेक्टर टैकंर से भी आवश्यकतानुसार करवानी होगी । नोट : लगभग 20 ट्रेक्टर ट्रोली काली मिट्टी अविकानगर के नजदीकी तालाब से खोद कर लाना होगा (ट्रेक्टर व ट्रोली संस्थान से उपलब्ध करवायी जावेगी) । उपरोक्त तीनो गार्डनो में स्थित अन्य वृक्षों एवं रोड के निकट स्थित वृक्षों को को छगाँई कर टहनियों एवं झाडियों को उठाकर वांछित स्थान पर डालना होगा । आवश्यकता पड़ने पर सेम्पलिंग कार्य हेतू मजदूर उपलब्ध करवाना होगा।	₹249500/-

अनुबन्ध की नियम व शर्तें निम्न प्रकार है–

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. औषधीय, केक्टस एवं सैजंना गार्डन में प्रभारी, सेक्टर द्वारा बताये अनुसार पौध लगाना, लगे हुए पौधो की क्यारियो एवं नालियों की निराई–गुडाई करना, मैंगनी की खाद डालना। पुराने थावलों तथा क्यारियों की मरम्मत करना।
3. अनुबन्धकर्ता को स्थानीय पहाडी क्षेत्र से थोर, काट कर/खोद कर लाने का कार्य करना होगा।
4. सम्पूर्ण प्रक्षेत्र को वर्षभर खरपतवार रहित रखना होगा। पौधों की निराई–गुडाई का कार्य सफाई से करना होगा तथा अनुबन्ध की अवधि के दौरान प्रक्षेत्र पूर्णरूप से खरपतवार रहित होना चाहिए।
5. सिंचाई हेतु प्रक्षेत्र पर स्थापित बूंद–बूंद सिचांई पद्धति द्वारा पौधों को पानी पिलाना, ट्यूब वेल चलाकर टंकीयो को भरना व ट्यूबवेल को बन्द करना। साथ ही सिंचाई प्रणाली का पूर्णरूप से ध्यान रखना होगा। अनुबन्धकर्ता को आवश्यकतानुसार ड्रिप लगाने तथा प्रतिदिन सिंचाई से पूर्व ड्रिप पाईपों का निरीक्षण कर सही करना होगा।
6. पौधे लगाने हेतू थॉवले, क्यारियां तथा नालियॉ तैयार करनी होगी। स्थापित पौधे में 5% एवं नवस्थापित पौधों में 15% से अधिक मरने पर देय बिल से वांछित कटौती की जायेगी।
7. कीटनाशक एवं फफूँदीनाशक छिड़कने से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य निर्धारित समय पर प्रभारी पशु पोषण विभाग या उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार पूरा करना होगा।
8. बेल वाले औषधीय पौधों को सहारा देने के लिये लकडी, बॉस, अथवा जाली लगाना होगा इसके लिये मजदुरी अलग से देय नही होगी।
9. पौधे लगाने के समय गढडों में खाद व काली मिट्टी का मिश्रण डालना होगा तथा इस कार्य को वर्षभर निर्देशानुसार करना होगा।
10. विभाग की और से कार्य में लाये जाने वाले सामान जैसे– सिंचाई पाईप, पानी की टंकीयाँ एवं अन्य बूंद–बूंद सिंचाई से सम्बन्धित सामान की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। सामान के गुम हो जाने पर बुक वेल्यु के हिसाब से भुगतान मे से कटौती कर ली जायेगी।
11. कृषि कार्यो में काम आने वाले श्रमिको तथा औजारो जैसे फावडा, खुरपी, कुदाली, कुल्हाडी, स्केट्रीयर तथा अन्य कृषि सम्बन्धित औजार का प्रबन्ध स्वंय अनुबन्धकर्ता को करना होगा।
12. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान, तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य की संतोषजनक सम्पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही किया जावेगा। यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो भुगतान कार्य की मात्रा के अनुसार किया जावेगा।
13. पशु पोषण विभाग के अधीन अनुबन्ध के कार्यों को रोजाना सही एवं सुचारू रूप से अध्यक्ष, पशु पोषण विभाग व उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा।
14. वर्षभर के आधार पर एक मुश्त दिये गये कार्य का अनुबन्धित वर्ष में किये गये कार्य की मात्रा तथा गुणवता का आंकलन स्वयं अध्यक्ष ,पशु पोषण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा किये जाने के बाद भुगतान किया जायेगा। कार्य असन्तोषजनक रहने की स्थिति मे कटौती की जायेगी जिसकी जिम्मदेारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
15. प्रक्षैत्रों पर किसी भी समय विजिट हो सकती है इसके लिये स्वंय अनुबन्धकर्ता अथवा उनके द्वारा लगाये गये प्रतिनिधि को निर्देशानुसार उपस्थित रहना होगा।
16. अनुबन्ध कार्य पर जी0एफ0आर0 2017, मेनुअल फॉर प्रोक्यारमेण्ट ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज 2017 एवं समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं संशोधन लागू होंगे।
17. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
18. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोडने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी। साथ ही भविष्य में कोई अनुबन्ध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा।
19. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
20. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
21. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
22. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर अध्यक्ष, पशु पोषण को प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
23. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्यक करवा लें।

24. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
25. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
26. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
27. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
28. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

/

(हर्षित अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. विभागाध्यक्ष, पशु पोषण विभाग को प्रेषित कर लेख है कि सक्षम अधिकारी महोदय ने श्रम मंत्रालय के नियमानुसार नियमों की पालना करवाये जाने के लिये उक्त कार्य हेतु उन्हें नॉडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करले कि ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधियों का भुगतान प्रतिमाह भारत सरकार के नियमानुसार निर्धारित दरों पर उनकी उपस्थिति में कर दिया गया है जिसे सत्यापित करते हुए किये गये भुगतान की प्रति श्रीमान सक्षम अधिकारी को प्रतिमाह रिकार्ड हेतु भिजवावें तथा ठेकेदार द्वारा किये जा रहे रजिस्टर के संधारण (Maintain) को अपने स्तर पर हर माह प्रमाणित करें तथा ठैकेदार द्वारा लगाये गये प्रतिधियों की संख्या तथा कार्य सम्पूर्ण होने की दिनांक व कितने मानव दिवस कार्य किये गये आदि का ब्योरा तुरन्त क्रय अनुभाग को सूचित करें। सक्षम अधिकारी महोदय ने यह भी निर्देश दिये है कि सेक्टर पर किये जाने वाले कार्यो की मोनिटरिंग अच्छी प्रकार से की जावें।
2. आहरण व संवितरण अधिकारी
3. वित्त एवं लेखा अधिकारी
4. सर्तकता अधिकारी
5. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग
6. प्रभारी, ए.के.एम.यू.
7. निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

सक्षम अधिकारी महोदय ने उक्त प्रयोजनार्थ होने वाले व्यय रूपये 249500/– वित्तीय स्वीकृति पत्रावली क्रमांक 6(387)एसपी/2018 नोट सीट पेज नं.3 पर दिनांक 01.08.2018 को प्रदान की हैं। यह व्यय वित्त वर्ष 2018–19 में संस्थान को उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित बजट से वहन किया जावेगा।

प्रशासनिक अधिकारी